संख्या- 45/2025/1870/001-78-01099-55-2022

प्रेषक,

राधेश्याम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक, उद्योग
कानपुर, उ0प्र0

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 31-12-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप इकाइयों को संवितरित की गई सीड कैपिटल/विपणन सहायता (Marketing Assistance) धनराशि की कॉर्पस फण्ड को प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी 9064(2025-26), दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप इकाइयों को संवितरित की गई सीड कैपिटल/विपणन सहायता (Marketing Assistance) धनराशि की कॉर्पस फण्ड को प्रतिपूर्ति हेतु उपर्युक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-14-उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी मद" प्राविधानित धनराशि रु 250.00 लाख (रुपये दो करोड पचास लाख मात्र) के सापेक्ष समग्र धनराशि रु 250.00 लाख (रुपये दो करोड पचास लाख मात्र**)** आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय-भार के आधार पर ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण उन्हीं स्टार्टअप के संबंध में किया जायेगा, जिन्हें नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा संवितरण की धनराशि अनुमोदित कर दी गयी हो तथा उसका भुगतान कार्पस फण्ड से इकाई को कर दिया गया हो।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि कार्पस फण्ड से स्टार्टअप को सीड कैपिटल/विपणन सहायता हेतु किये गये संवितरण की प्रतिपूर्ति कार्पस फण्ड को किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी है।

(10) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के प्राविधानों का किसी प्रकार से विचलन न होने पाये तथा नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी की पात्रता के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ संतुष्ट हो लेंगे। आकडो की शत-प्रतिशत शुद्धता भी सुनिश्चित की जाये। किसी भी रूप में दोहरा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-03-2025 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि स्वीकृत धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852072021400 उ.प्र. स्टार्ट-अप नीति-2020 का कार्यान्वयन **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राधेश्याम

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विवेक कुमार गुप्ता

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।